



PM/VI/2011-12/OG-GO/

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),  
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

To  
The Director of Treasuries and Accounts  
4<sup>th</sup> floor Rajaram Building  
Tilak Road Abids  
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of Orders (6Nos) relating to DR of UP State pensioners  
Ref:- 1. Circular No Pen(Misc)/Dearness Relief/2047 LID41774, 41420, 41803,  
66867 dated 29.02.2012 of the AG(A&E) II UP Allahabad.

\*\*\*

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E) II, Uttarpradesh, Allahabad in the reference cited with 6 orders issued by the Government of Uttar Pradesh. The same is being placed in this office official website ([www.ag.ap.nic.in](http://www.ag.ap.nic.in)). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To  
Joint Director,  
M J Road, Jambagh  
Pension Payment Office,  
Nampally,  
Hyderabad

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

1162  
9/13 PM

By Speed Post

**Office of the Accountant General (A&E)-II,UP**  
**20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001**

Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2621402

Under Special Seal

Dated: 29/02/2012

Circular No:- Pension (Misc)/Dearness Relief/ 2047

LID-41774, 41420, 41803, 66867

To,

Accountant General (A&E),

Andhra Pradesh  
S. G. Saibabab Hyderabad pin 500004

Subject:- (1) Two office Memos. reg. Dearness Relief dt. 13/01/2012.

(2) G.O. reg. Dearness Relief for Regular State Employees Technical Institutes & Urban Local Bodies etc. dt. 13/01/2012

(3) G.O. reg Dearness Relief for Freedom Fighter dt. 31/01/2012

(4) G.O. reg enhancement in pension of Freedom Fighter dt. 22/01/2007

(5) G.O. reg an additional installment of DA in pension of Freedom Fighter dt. 10/08/2010.

(6) G.O. reg an additional installment of DA in pension of Freedom Fighter dt. 11/03/2011.

Sir,

I am forwarding herewith copies of:-

(1) Office Memo. of DR from 115% to 127% w.e.f. 01/07/2011 dt. 13/01/2012 in Pre-revised scales & office Memo. of DR@ 58% w.e.f. 01/07/2011 to state Govt. civil/Family pensioners dt. 13/01/2012

(2) G.O. reg. Dearness Relief for Regular State Employees Technical Institutes & Urban Local Bodies etc. dt. 13/01/2012.

(3) G.O. reg an additional installment of DA for Freedom Fighter dt. 31/01/2012

(4) G.O. reg enhancement in pension of Freedom Fighter dt. 22/01/2007

(5) G.O. reg an additional installment of DA in pension of Freedom Fighter dt. 10/08/2010.

(6) G.O. reg an additional installment of DA in pension of Freedom Fighter dt. 11/03/2011.

Encl:- As stated above

Yours Faithfully,

Angada Rai  
Sr. Accounts Officer  
29.2.2012



उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-3

संख्या-सा-3-78/दस-2012-301/2000टीसी0

लखनऊ : दिनोंक : 13 जनवरी, 2012

कार्यालय - झाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक  
पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की  
स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश  
हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के  
कार्यालय-झाप संख्या-सा-3-649/दस-  
2011-301/2000टीसी दिनांक 11 जुलाई, 2011  
जिसके द्वारा महंगाई राहत दिनोंक 01 जनवरी,  
2011 से 51 प्रतिशत स्वीकृत की गयी थी, के क्रम  
में श्री राज्यपाल औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  
इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित  
कार्यालय-झाप दिनोंक 11-07-2011 में उल्लिखित  
दरों का संशोधन करते हुए दिनोंक 01 जुलाई, 2011  
से महंगाई राहत की 07 प्रतिशत की एक और  
किस्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनोंक  
- 01 जुलाई, 2011 से 07 प्रतिशत की उपर्युक्त  
बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई  
राहत की दर 51 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो  
जायेगी।

3- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक  
रुपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे  
नज़रअंदाज़ कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा  
आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया  
जायेगा।

4- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों,  
स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के  
सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित  
विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना  
अपेक्षित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के

Government of Uttar Pradesh  
Finance ( General ) Section-3  
No-Sa-3-78 /X-2012-301/2000T.C.  
Dated : Lucknow: January 13, 2012

Office - Memorandum

Subject-Grant of dearness relief to  
State Government's civil /  
family pensioners.

The undersigned is directed to  
refer to the Office Memorandum No.  
Sa-3-649/X-2011-301/2000 T.C. dated  
July 11, 2011 on the above mentioned  
subject, sanctioning additional  
instalment of dearness relief with effect  
from January 01, 2011 and to say that  
the Governor is pleased to further  
enhance by 07 percent, with effect  
from July 01, 2011, the rate of dearness  
relief admissible to all civil / family  
pensioners of this Government to  
compensate them for the rise, in the  
meanwhile, in the average Consumer  
Price Index.

2- As a consequence of the above-  
mentioned 07 percent rise, the dearness  
relief payable on the pension will rise  
from existing 51 percent to 58 percent  
with effect from July 01, 2011.

3- In the calculation of dearness  
relief, fraction of a rupee less than its  
half shall be ignored while half or more  
shall be counted as one rupee.

4- These orders will not be  
applicable to the Judges of High Court,  
employees of local bodies and public  
undertakings / corporations etc. in  
respect of whom separate orders will



उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त ( सामान्य ) अनुभाग-3  
संख्या:सा-3-79/दस-2012-301/2000टी0सी0  
लखनऊ : दिनांक : 13 जनवरी, 2012

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :- अपुनरीक्षित वेतनमानों में पेंशन / पारिवारिक पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को दिनांक 01-07-2011 से महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-552/दस-2011-301/2000, दिनांक 11 जुलाई, 2011 द्वारा जिन पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित नहीं हुई है या संबंधित कार्मिक ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारित नहीं कराया है और तदनुसार उन्हें अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर पेंशन स्वीकृत हुई है, को पेंशन पर महंगाई राहत दिनांक 01-01-2011 से 115 प्रतिशत की दर से स्वीकृत की गयी थी, के कम में उक्त श्रेणी के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत दिनांक 01-07-2011 से 127 प्रतिशत की दर से अनुमन्य होगी।

2- यह भी स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गयी है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिन्हें अपुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन मिल रही है, को उपरोक्तानुसार उल्लिखित दरों पर महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

3- क्योंकि अनन्तिम पेंशन एवं उस पर महंगाई राहत का भुगतान अधिष्ठान बिलों पर आहरित करके किया जाता है, इसलिए यह प्रशासकीय विभागों का दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम पेंशन की धनराशि पर महंगाई राहत की गणना करके भुगतान करें।

4- अतः उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों तथा अनन्तिम पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तदनुसार महंगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

( संजीव मिस्तल )  
सचिव, वित्त।



प्रेषक,

संजीव मित्तल,  
सचिव, वित्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
- (4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश-8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- (6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
- (7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 2012

विषय:- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जुलाई, 2011 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित :-

- (1) शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-975/दस-2005-41/04 दिनांक 22 सितम्बर, 2005।
- (2) शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-72/दस-2006-31/04 दिनांक 31 जनवरी, 2006
- (3) शासनादेश सं0-वे0आ0-1-641(2)/दस-2011-42(एम)/08 दिनांक 06 जुलाई, 2011
- (4) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन - संख्या-1(3)/2008-संस्था-1।(ख), दिनांक 17 अक्टूबर, 2011

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-वे0आ0-1-641(2)/दस-2011-42(एम)/08, दिनांक 06 जुलाई, 2011 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारकों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों



2- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-3 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा अर्थात् प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

4- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

5- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

7- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2011 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जनवरी, 2012 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31-12-2012 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2012 से (माह जनवरी, 2012 का भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2012 को देय) नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष



नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।

8- नई पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के एरियर की राशि टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी। कर्मचारी के मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग पर महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि के 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान कर्मचारी के टियर-1 पेंशन खाते में राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

9- महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12/दस-97-500 (1)/97, दिनांक 7-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

10- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2011 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

(संजीव भित्तल)

सचिव।

संख्या-वे0आ0-1-60(1)/दस-2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) समस्त मुख्या/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
- (5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
- (6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (8) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
- (9) अपर निदेशक, कोषागार शिप्टर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- (10) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी)।
- (11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (12) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



दिनांक 4-5-2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

। ललित कान्त ।

तयिब ।

पु०सं०: 36 111 जेड/6-ता-1-2001, तद्दिनांक ।

उपरोक्त की प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं निदेशक प्रेषित निदेशालय, उ०प्र०, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इत अ-मुद्रित के साथ प्रेषित कि कृपया बड़ी हुई दर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रेषित का भुगतान किये जाने हेतु सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी करने का कष्ट करें।

आज्ञा है

। श्रीराम जयन्त ।

अनुतयिब । MS-01

पु०सं०: 36 121 जेड/6-ता-1-2001, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, गिहौद भगत सिंह मार्ग, बम्बई-400023
2. तमस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3. तमस्त क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
5. निदेशक/तयिब, उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानों कल्याण परिषद्, लखनऊ ।
6. गृह ।तामान्व। अनुभाग-1, 2, 3 उत्तर प्रदेश शासन ।
7. बित्त ।तामान्व। अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन ।
8. बित्त ।चक्र निबंधन। अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन ।
9. अनुभाषिक आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा है

। श्रीराम जयन्त ।

अनुतयिब ।



तत्पितामह,  
तत्पिता,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

तत्पिता जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश ।

पुनः प्रतीक्षा अनुभाग-1

लक्ष्य: दिनांक: 04 मई, 2001

विषय : राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानों पेंशन में वृद्धि एवं मंहगाई प्रदान किया जाना ।

प्रति,

उत्तर प्रदेश सरकार शांतिगंगा संख्या : 1754 जे 6-18-6/जी/85, दिनांक 12.12.1998 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, श्री राज्यपाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जाने वाली राज्य पेंशन में दिनांक 1.1.2001 से रुपये 250/- की तौ पचास रुपये मात्र की वृद्धि करने एवं पेंशन पर 24 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत देने जाने को तत्पिता स्वीकृति प्रदान करते हैं। अतः अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वृत्तिमाह निम्न प्रकारानुसार भुगतान देय होगा ।

- |                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| 1- पेंशन -                                  | 2150-00 |
| 2- पेंशन पर 24 प्रतिशत मंहगाई राहत -        | 516-00  |
| 3- विभिन्न प्रयोजनों हेतु अनुमान धरारा मि - | 350-00  |

कुल योग : 3016-00

1 तीन हजार तीसह रुपये।

इस सम्बंध में होने वाला वार्षिक वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आस-वसक के अनुसार संख्या-28 के अंतर्गत सेवा शीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा-तथा कल्याण-आयोजन-सेवा-60-संग्राम सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन संख्या-203-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन / वार्षिक शीर्षक 2 के नामे डाला जावेगा ।

यह राष्ट्रीय वित्त विभाग के आगतकी संख्या : ई-12-727/वत-2001,

-----2/-



श्री अशोक कुमार,  
सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सत्ता में

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पूह (सामान्य) अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 22 जनवरी, 2007

विषय उत्तर प्रदेश राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को वर्तमान समय में मिल रही पेंशन में वृद्धि किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2391 जेड/6-सा-1-05-61जी/85 दिनांक 02 सितम्बर, 2005 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सत्याग्रह आन्दोलन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर श्री राज्यपाल महोदय राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को निम्न दर से पेंशन/मंहगाई राशन दिए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। अतः राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों का दिनांक 01 जनवरी, 2007 से प्रतिमाह निम्न गणनानुसार भुगतान देय होगा :-

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 1- पेंशन -                                 | रु० 3,150-00 |
| 2- मंहगाई राशन - (44 प्रतिशत) -            | रु० 1,386-00 |
| 3- विभिन्न प्रयोजनों हेतु अनुमन्य वनराशि - | रु० 464-00   |
| योग -                                      | रु० 5,000-00 |
| (रुपये पाँच हजार मात्र)                    |              |

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 28 के अन्तर्गत तर्का शीर्षक - 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों का पेंशन-33-पेंशन/आनुवंशिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या - ई - 12 -84/दस - 2007, दिनांक 19 जनवरी, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार)  
सचिव।

संख्या 65 (1) जेड/6-सा-1-07 तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।

2421-2452 10

21.12.10



प्रेषक,

जी०पी० वर्मा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

गृह (सामान्य) अनुभाग-1

लखनऊ :

दिनांक : 10 अगस्त, 2010

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन में  
मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-231जेड/6-सा-1-09-61जी/85, दिनांक 16 फरवरी, 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन पर दिनांक 01.04.2010 से 79 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। अतः राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिनांक 01.04.2010 से प्रतिमाह निम्न गणनानुसार भुगतान देय होगा :-

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| 1- पेंशन-                                 | रु० 3150.00 |
| 2- मंहगाई राहत (79 प्रतिशत)-              | रु० 2483.00 |
| 3- विभिन्न प्रयोजनों हेतु अनुमन्य धनराशि- | रु० 364.00  |

योग- रु० 6102.00

(रुपये छः हजार एक सौ दो मात्र)

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन/अनुताधिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ" के नाम डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-1711/दस-2010, दिनांक 09 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी०पी० वर्मा)  
प्रमुख सचिव।



प्रषव

संख्या- 104जेड/6-सा-1-11-61जी/85

डा० ललित-वर्मा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

गृह (सामान्य) अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 11 मार्च, 2011

विषय: उत्तर प्रदेश राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन में मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-788जेड/6-सा-1-10-61जी/85 दिनांक 10 अगस्त, 2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन पर दिनांक 01.04.2011 से 96 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। अतः राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिनांक 01.04.2011 से प्रतिमाह निम्न गणनानुसार भुगतान देय होगा :-

1- पेंशन-

रु० 3150.00

2- मंहगाई राहत (96 प्रतिशत)

रु० 3024.00

3- विभिन्न प्रयोजनों हेतु अनुमन्य धनराशि-

रु० 464.00

योग-

रु० 6638.00

(रूपये छः हजार छः सौ अड़तिर मात्र)

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन/अनुतापिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-765/दस-2011, दिनांक: 11 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० ललित वर्मा)

प्रमुख सचिव।